प्रपत्र-ब

राजस्थान सरकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

आवेदन संख्या/दिनांक .4515454/.01-03-2020

															-	-	
एपीएल/स्टेट बीपीएल/बीपीएल/अ	न्त्योदय	राशन क	गर्ड में ज	गरी यूनिट	ों में संशो	धन, प त	ा परिव	र्तन एव	ां डुप	लीके	ट राश	ान क	ार्ड ब	नाये ज	ाने का	आवेदन	ा फार्म
1. सामान्य विवरण - '*' चिन्हित	सूचना अ	ावश्यक र	प से भर्र	ो जानी है।													
राशन कार्ड संख्या (12 डिजिट)	1	-	3	2 3	and the second second	5	5	5		5	5	4					
राशन कार्ड में दर्ज मुखिया का नाम महावीर कुमार											=	=1					
मुखिया के पिता का नाम	राम	लाल		माता का नाम सी					ोता देवी						21		
मोबाइल नम्बर 8 8 5					5 5 5 5 5 5								KE	7			
ई-मेल पता															A	A	
राशन कार्ड में दर्ज पता	मकान	नम्बर/म	कान क	ा नाम	मौह	मौहल्ला/कॉलोनी/लैंड मार्क/लोकैलि					कैलिव	टी					
महावीर नगर													L				
*पंचायत समिति :	*ग्राम	पंचायत :					*ग्राम/वार्ड सं. :						आवे	ादक के	हस्ताक्ष	र	
(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)	(केवल उ	ग्रामीण क्षेत्र हे	तु लागू)	(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू))					1.			
*नगर निगम/नगरपालिका/परिषद : *नगर निगम/नगर परिषद/परिषद का वार्ड नं. : *जिला : पाली										(Ham	halon	-				
(केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू) तखतगढ़	(केवल श	हरी क्षेत्र हेतु लाग	I)	12		पिन र	नम्बर	3	6	9	6	6	6	(
2. मेरा उक्त राशनकार्ड उचित मृ	ल्य दुका	न सं		नाग	न दुकानदा	₹										का	था जे
विरूपित हो / गुम / फट गया है।	अतः डुप	लीकेट जा	री करें।	खोये हुए र	तशन कार्ड	की फोट	गति/	′कटा−।	फटा	राशन	ा कार्ड	संलग	न है।	खोया ह	हुआ राश	ान कार्ड	मिलने
पर मैं उसका दुरुपयोग नहीं कर																	
3. मैं निवास स्थान बदलने के कारण	ग राशन	कार्ड में दर	र्ज पता प	रिवर्तन हे	तु आवेदन	करता/	करती हैं	्। कृपय	ग नि	म्नानु	सार मे	रे राश	ान का	ार्ड में दर	र्ज पता प	परिवर्ति	त करें-
राशन कार्ड में परिवर्तन करने के सम्बन्ध में					मकान नम्बर/मकान का नाम				नाम मौहल्ला					/कॉलोनी/लैंड मार्क/लोकैलिटी			
नया पता : '*' चिन्हित सूचना आवश्य	ाक रूप र	में भरी जार्न	ी है।		D.												
*पंचायत समिति :					*ग्राम पंपायत :						*ग्राम/वार्ड सं. :						
(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)					(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)						(वे	(केवल ग्रामीण क्षेत्र हेतु लागू)					
*नगर निगम/नगरपालिका/परिषद :					*नगर निगम / नगर परिषद / परिषद का वार्ड नं. :						जेला :	ला :					
(केवल शहरी क्षेत्र हेतु लागू)				(केवल १	ाहरी क्षेत्र हेतु	लागू)					पि	न नम्बर	₹				
बिन्द 3 में जिस मकान का पता दि	या है वह	मेरी निर्ज	ो सम्पत्ति	ा / कच्ची र	बस्ती सर्वे	यक्त सम	पत्ति है	/में कि	राये व	के मक	गन में	निवा	स कर	रता/क	रती हैं।		to be a second

या राजस्थान राज्य से बाहर निवास करने के कारण समर्पण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता / करती हूँ।

4. मैं निम्नांकित नामों को सिम्मिलत करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ -

क्र. सं.	नाम*	माता का नाम*	पिता का नाम*	जीवन साथी का नेल यदि विवाहित है तो	लिंग* M/F/ Other	जन्म दिनांक*	मुखिया से संबंध*	यूनिक आईडी UID/आधार क्रमांक	विकलांग (हां/ना)	विधवा/ परित्यक्ता (हां/ना)
1.										
2.				e				8		
3.										
4.		_		O.						

नोट - '*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर क्रम सं. 4 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ देवें।

5. मैं निम्नांकित नामों को मेरे परिवार राशन कार्ड से घटाने/समर्पण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन करता/करती हूँ-

क्र.	नाम*	लिंग*	मुखिया से	घटाने का कारण	समर्पण प्रमाण-पत्र कहाँ के लिए जारी करना है
सं.		M/F/Other	संबंध*		×
1.	ममता कुमारी	f	बेटी	शादी	सुमेरपुर
2.				:	y
3.					
4.	1				·
5.	-				
6.	e u				

नोट – '*' चिन्हित सूचना आवश्यक रूप से भरी जानी है। परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होने पर क्रम सं. 6 से आगे की सूचना अलग पृष्ठ पर पते के साथ देवें।

हस्ताक्षर आवेदक

6.	पशिन कीड की विशिष्टियों की बुटियों में परिवर्धन / संशोधन :- उदाहरणीथ वतनी शुद्धि, पिता / माता का नाम, पता, गैस कर्नेक्शन सम्बन्ध प्रविष्टियां, उचित मूल्य दुकान विवरण की विशिष्टियां, राशनकार्ड में दर्ज परिवार के सदस्यों के नाम, आयु, जन्म दिनांक व मुखिया से सम्बन्ध	में संशोधन करवाने के लिए जारी मल
	राशनकार्ड में अशुद्धि/वांछित परिवर्धन योग्य विशिष्टि पर आवेदक द्वारा गोला कर सही विशिष्टि स्वयं के हस्ताक्षर से अंकित की जावे तथा मूल रा	शनकार्ड आवेदन फार्म के साथ संलग्न
	किया जावे। यदि त्रुटि आवेदक के मूल फार्म में भरी गयी सूचना से मिलान करती है तो आवेदक को परिवर्धन एवं संशोधन के सम्बन्ध में दस्तावेज	प्रस्तुत करने होंगे।
	ार्धन/संशोधन का संक्षिप्त विवरण –	
	ममता कुमारी का नाम काट कर समर्पण प्रमाण पत्र जारी करना है	
	घोषणायें :-	
नोट	– घोषणा का जो बिन्दु लागू नहीं हो उसे काट देवें।	
	मेरा आयकर विभाग का पेन क्रमांकहै। मेरे राशन कार्ड में ''मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ'' अंकित है जिसके स्थान प	ार
	लिखा जावे क्योंकि मैं आयकर दाता हूँ/नहीं हूँ।	
(ख)	मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन नं	बीसी अंकित है जिसके स्थान पर गैस
	कनेक्शन नंडीबीसी/एसबीसी अंकित किया	जावे या मेरे पास गैस कनेक्शन नहीं है
	अतः मेरे राशन कार्ड में गैस कनेक्शन सम्बन्धित प्रविष्टी हटाई जावे।	
(ग)	मेरा नाम बीपीएल/स्टेट बीपीएल चयन सूची वर्ष	र्रक्रमांक
	वार्ड	
(ঘ)	इस प्रपत्र के बिन्दु 4 में वर्णित सदस्यों का नाम पहले से किसी भी अन्य प्रचलित राशनकार्ड में नहीं है और ना ही इस हेतु पहले कहीं आवेदन किया ग लेता है।	या है। न ही कोई सदस्य सेना से राशन
(ङ)	इस प्रपत्र के बिन्दु 3 में जिस मकान का पता दिया है वह मेरी निजी सम्पत्ति है/मैं किराये के मकान में निवास करता हूँ।	
(च)	इस प्रपत्र के बिन्दु 5 में श्री/श्रीमती/सुश्री	/अलग निवास/अलग रसोई होने के
	कारण घटाने के लिए आवेदन किया गया है। श्री/श्रीमतीरिश्ते में मेरे/मेरी	(मृतक से सम्बन्ध) है, इनकी
	मृत्यु के बाद मैं ही घर में वरिष्ठ सदस्य हूँ, इनके राशन कार्ड में मेरा नाम दर्ज है, अतः इनका नाम विलोपित करते हुए मेरे नाम से परिवार मुखिया के र	oप में परिवर्धित राशन कार्ड जारी करें।
	इस प्रपत्र के बिन्दु 6 के क्रम में मेरे द्वारा मूल राशन कार्ड में मेरे द्वारा अशुद्धि/वांछित परिवर्धनीय विशिष्टि पर गोला कर शुद्ध वर्तनी/परिवर्धित विशि कार्ड में शुद्ध किया जावे।	ष्टि अंकित की गयी है जिसे मेरे राशन
	मैं और मेरा परिवार राशन कार्ड का उपयोग राशन वस्तुएं प्राप्त करने के अलावा किसी अन्य कार्य हेतु नहीं करेगा।	
(झ)	मुझे पता है कि राशनकार्ड सरकार की सम्पत्ति है। इसे जब भी सक्षम अधिकारी प्रस्तुत करने को कहेंगे मैं प्रस्तुत कर दूंगा। तथ्यों की जांच कभी भ जाने पर मेरा राशनकार्ड निरस्त किया जा सकता है तथा कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है।	ो की जा सकती है। गलत सूचना पाये
(স)	इस प्रपत्र के बिन्दु 1 से 7 में दी गई समस्त जानकारी सत्य है तथा कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया है।	
स्थान	ाःतखतगढ	Jam howlen
दिनां	क :12/03/2020	हस्ताक्षर आवेदक
	सत्यापन	* 8
इस प्र	पत्र के बिन्दु 3 में दिए गए मकान के पते पर श्री/श्रीमती/सुश्रीपुत्र/पुत्री/पत्नी श्रीपुत्र/पुत्री/पत्नी श्री	परिवार
सहित	त अवधिसे निवास कर रहे हैं। यह मकान मेरी निजी सम्पत्ति है। (बिन्दु 3 लागू होने पर ही सत्यापन कराया जाना है	
		हस्ताक्षर मकान मालिक
	कार्यालय/कियोस्क द्वारा कार्यवाही	
	चैक लिस्ट	
	आवेदक द्वारा आवेदन फार्म पूर्ण रूप से भरा हुआ स्वयं के फोटो सहित मय हस्ताक्षर एवं मकान मालिक के हस्ताक्षर करा कर प्रस्तुत किया	हैं? हाँ/नहीं
संलग्	न दस्तावेजों का विवरण : (सभी संलग्नक आवेदक द्वारा स्वप्रमाणित किये जाने आवश्यक हैं)	
1.	पूर्व राशन कार्ड निरस्तीकरण बाबत सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल समर्पण प्रमाण–पत्र।	हाँ/नहीं
	निवास बाबत प्रमाण यथा बिजली/पानी बिल, नगर निकाय की गृहकर रसीद, वोटर पहचान पत्र की फोटो प्रति।	हाँ/नहीं
3.	नवविवाहिता का नाम दर्ज कराने हेतु पिता के राशनकार्ड से नाम कम कराने/शादी का रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की फोटो प्रति।	हाँ/नहीं
4.	बच्चे का नाम दर्ज कराने हेतु नगर निगम/नगरपालिका/पंचायत से जारी जन्म प्रमाण पत्र या बचा गोद लेने के सर्टिफिकेट की प्रति।	हाँ/नहीं
	डुप्लीकेट राशनकार्ड हेतु पूर्व प्रचलित कार्ड की फोटो प्रति/शपथ पत्र या कटा/फटा/विरूपित राशनकार्ड।	हाँ/नहीं
	मूल राशन कार्ड।	हाँ/नहीं
	उम्र में परिवर्तन कराने हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा शिक्षा प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित प्रति।	हाँ/नहीं
	नाम हटाने के लिए मृत्यु प्रमाण-पत्र/विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र/तलाकनामे की स्वप्रमाणित प्रति/परित्यक्ता का स्वप्रमाणित शपथ-पत्र।	हाँ/नहीं
	नाम में परिवर्तन हेतु प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से प्रमाणित शपथ-पत्र अथवा राजकीय मुद्रणालय से जारी गजट की स्वप्रमाणित फोटो प्रति। स्वप्रमाणित शपथ-पत्र।	हाँ/नहीं
	नाम जुड़वाने के लिए समर्पण प्रमाण–पत्र।	हाँ/नहीं
	अन्य	हाँ/नहीं
16.	Industry of the contract of th	
	Super 'Ness	स्ताक्षर लिपिक/कियोरक धारी
		कियोस्क की मोहर